**International Journal of Multidisciplinary Research and Development**
**Online ISSN: 2349-4182, Print ISSN: 2349-5979, Impact Factor: RJIF 5.72**
**www.allsubjectjournal.com**
**Volume 3; Issue 12; December 2016; Page No. 209-210**

# शुक्रनीति प्रतिपादित प्राचीन भारतीय कर व्यवस्था

**डॉ0 राजपाल**

एसोसिएट प्रोफेसर, सी0 आर0 किसान महाविद्यालय, जींद, हरियाणा, भारत।

## प्रस्तावना

राज्य प्रशासन के सफल संचालन के लिए अर्थतन्त्र नितान्त आवश्यक है। धन राष्ट्र की धुरी है क्योंकि राज्य के कुशल संचालन के लिए राजा को धन की आवश्यकता होती है, जो वह प्रजा से कर के रूप में प्राप्त कर प्रजापालन तथा राज्य की रक्षा का उत्तरदायित्व लेता है, क्योंकि समृद्ध राष्ट्र विश्व पर शासन किया करता है और निर्धन राष्ट्र अपनी सत्ता खो देता है। इसलिए प्रायः कौटिल्य, मनु, शुक्र आदि सभी प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्रकारों ने त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ और काम) में अर्थ या धन को प्रधान तत्त्व मानकर मध्य में रखा है और धनार्जन के प्रकारों तथा व्यवहारों का उल्लेख किया है। यह धन कर के रूप में ही प्रजा से एकत्रित किया जा सकता है। धर्मशास्त्रियों का इस बात पर भी बल रहा है वह कर बोझ बनकर प्रजा के लिए घातक नही बनना चाहिए, क्योंकि प्रजा के बोझ से दब जाने पर राजा की भी अधोगति हो जाती है। राजा की लोकप्रियता उसके सही कर संचयन, व्यवस्थापन और वितरण में है। इसलिए ही आचार्य शुक्र ने नीति–निपुणता के द्वारा ही राजा को कोष वृद्धि का निर्देश किया है।[1]

कर ही सार्वजनिक आय का मुख्य साधन है। कर का सामान्य अर्थ लगान, शुल्क या भेंट है।[2] आचार्य शुक्र के अनुसार प्रजा से कर के रूप में भृति लेने के कारण ही ब्रह्मा ने राजा को प्रजा का दास बनाया है और प्रजा का पालन करने के कारण उसे प्रजा का स्वामी भी बनाया है।[3] आचार्य शुक्र ने करों के अनेक प्रकारों तथा उनकी दरों का उल्लेख शुक्रनीति में किया है–

### 1. शुल्क कर

यह कर उस व्यापारिक सामग्री एवं वस्तुओं पर लगाया जाता था, जो बाजारों या हाटों में विक्रय हेतु वणिक गण ले जाया करते थे। 'विक्रेतृक्रेतृतो राजभागः शुल्कमुदाहृतम्'[4] यह कर समस्त वस्तुओं पर प्रायः एक ही बार लिया जाता था। शुल्ककर संचय करने के लिए बाजार के मार्ग और नगर के बाहर चुंगी होती थी।[5] तथा एक शौल्किक नामक अधिकारी की नियुक्ति भी की जाती थी।[6] शुक्र ने राजा को निर्देश दिया है कि वह छलपूर्वक बार–बार चुंगी न ले। क्रय या विक्रय करने वालों से मूल्य का 32वां भाग अथवा मूलधन को छोड़कर लाभ से 32वां या 16वां अंश शुल्क के रूप में ग्रहण करे।[7] आधुनिक काल में शुल्क कर का अभिप्राय उत्पादन कर, बिक्रीकर, चुंगी, आयात–निर्यात कर से ले सकते हैं, आधुनिक काल में इस कर की दर अधिक है।

### 2. दण्डकर

आचार्य शुक्र ने दण्डकर या जुर्माने को भी राजकीय आय का प्रमुख साधन माना है।[8] प्रजा जनों से अपराध होने की स्थिति में राजा उनसे दण्ड वसूल कर सकता था। प्रथम श्रेणी के अपराधों में प्रथम साहस दण्ड 250 पण, मध्यम साहस दण्ड 500 पण और उत्तम साहस दण्ड में 1000 पण अपराधी राजा को दण्ड के रूप में देता था।[9] कैदियों से दण्ड के बदले कराये जाने वाले कार्य के लाभ या वेतन का आधा द्रव्य राजा को दे दिया जाता था।[10] मन्त्रियों आदि पर भी नियम के विरुद्ध कार्य करने पर 1000 पण का अर्थदण्ड लिया जाता था।[11] आधुनिक काल में भी न्यायालय अपराधी को शारीरिक दण्ड के साथ–साथ अर्थदण्ड भी दे देते हैं।

### 3. कृषिकर या भूमिकर

प्राचीन आचार्यों ने इस कर को षड्भाग, षड्भागम् या षडभागिन के नाम से अभिहित किया है, क्योंकि यह माना जाता था कि भूमि की पैदावार का छठा अंश ही राजा को भूमिकर के रूप में लेना चाहिए। शुक्र के अनुसार भूमि कर ग्रहण करने के इच्छुक राजा को भूमि को नापकर और उसकी प्रभूत, मध्यम तथा अल्य पैदावार को समझकर उसके पश्चात् कर लेने का निश्चय करना चाहिए। राजा को कृषक से इस प्रकार अपना भाग ग्रहण करना चाहिए जिससे वह नष्ट न हो।[12] कृषक की लाभ की अधिकता को देखकर ही तदनुसार तृतीयांश, पंचमांश या दशमांश या जैसा उचित हो वैसा कर लेना चाहिए।[13] अच्छी तरह तालाब आदि से सिंचाई वाली भूमि से उपज का तीसरा भाग, वर्षा से सिंचाई वाले खेतों से चौथा भाग, नदी वालों से आधा अंश तथा बंजर और पथरीली भूमि से होने वाली आय का छठा भाग कर के रूप में लेना चाहिए।[14] भूमि को कृषि योग्य बनाने वाले कृषकों से तब तक कर नहीं लेना चाहिए जब तक वह अपने व्यय किये गये धन से दुगुना प्राप्त नहीं कर लेते।[15]

### 4. आकर–कर

यह कर उन वस्तुओं पर लगाया जाता था जो खानों से प्राप्त होती थी। आचार्य शुक्र ने वस्तु के आधार पर इसकी दर अलग–अलग निश्चित की है। खान से उत्पन्न होने वाली वस्तु पर व्यय को काटकर सोने से आधा भाग, चाँदी से तृतीयाशं, ताँबे से चतुर्थांश, लोहा, बंग तथा सीसा से षष्ठांश, रत्नों तथा नमकादि क्षार पदार्थों से आधा अंश कर के रूप में ग्रहण करना चाहिए।[16]

### 5. पशुकर

आचार्य शुक्र ने पशुओं के व्यापारियों पर भी कर लगाने की व्यवस्था दी है। भेड़,बकरी, गौ, भैंस और घोड़ों की वृद्धि में से अष्टमांश कर के रूप में तथा गौ आदि के दूध में से 16वां भाग कर के रूप में ग्रहण करना चाहिए।[17]

इन करों के अतिरिक्त शुक्र के काल में ब्याज पर धन देने की प्रथा भी दृष्टिगोचर होती है। उनके अनुसार ब्याज पर धन देने वाले व्यापारियों से धन के लाभ का 32वां अंश राजा को कर के रूप में लेना चाहिए। तृण काष्ठादि व्यापारियों से लाभ का 32वां अंश तथा दुकानदारों से दुकान की भूमि व यात्रियों से मार्ग की सफाई तथा रक्षा के लिए भी कर लिया जाता था।[18] आधुनिक काल की भांति शुक्र के काल में भी देवोत्तर सम्पत्ति अर्थात् मानवता की सेवा करने वाले लोगों एवं संस्थाओं को कर मुक्त रखा गया था। आज भी विश्व भर में ऐसे कार्य करने वाली संस्थाओं को सरकारें कर राहत का अनुमोदन करती हैं। शुक्र के अनुसार आपत्तिकाल में राजा प्रजा

पर कर देने की दर को बढ़ा सकता है और देवोत्तर सम्पत्ति, तीर्थस्थान आदि पर विशेष प्रकार का कर लगाकर राज्य की आय को बढ़ा सकता है।[19]

इस प्रकार आचार्य शुक्र ने राजकीय करों के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के परम्परागत मन्तव्यों का उल्लेख किया है आधुनिक काल में शुक्र प्रदत्त इन करों की दर में परिवर्तन हुआ है। राजा को यह भी निर्देश दिया है कि वह माली की भांति प्रजा से थोड़ा–थोड़ा कर ग्रहण करें, कोयला बनाने वाले समान नहीं।[20] जो राजा अन्याय से या प्रजा को पीड़ा पहुँचाकर धनोपार्जन करता है, वह दोष का भागी बनता है और अपात्र कहलाता है।[21] राजा या सरकार को कर लगाते समय देश, काल तथा कर दाताओं की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। कर इस विधि से लगाने चाहिए कि प्रजा को करों का भार महसूस न हो और उनकी कराधान क्षमता बढ़े।

## सन्दर्भ सूची


1. शुक्रनीतिः – 4.2.16.
2. संस्कृत हिन्दी कोश– पृ. 216.
3. शुक्रनीतिः – 1.188.
4. वही– 4.2.104.
5. वही– 4.2.105.
6. वही– 2.176.
7. वही– 4.2.106–107.
8. वही– 2.335.
9. वही– 1.117–118.
10. वही– 1.115.
11. वही– 4.6.277.
12. वही– 4.2.108–109
13. वही– 4.2.116.
14. वही– 4.2.112–113.
15. वही– 4.2.120.
16. वही– 4.2.115.
17. वही– 4.2.118.
18. वही– 4.2.126–127.
19. वही– 4.2.10.
20. वही– 4.2.110.
21. वही– 1.308.